

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 29 MAY 2018

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित राजकीय आवास
1.	39/09	श्री हनुमाय सहाय मीणा, अनुभागाधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2028	4-ए-21 बहुमंजिला गांधीनगर (4-सी-20 बहुमंजिला गांधीनगर के स्थान पर)
2.	80/10	श्री महिपाल सिंह, वाहन चालक, राज0 स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर	30.06.2037	4-ए-5 बहुमंजिला गांधीनगर
3.	01/11	श्री अशोक कुमार लील, नर्स ग्रेड-II, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.08.2042	4/146 (पुराना न. एफ-927) गांधीनगर
4.	63/13	श्रीमती सपना उपाध्याय, वरिष्ठ लिपिक, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2039	4/7, गांधीनगर, जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
5.	110/13	श्रीमती कोमल भार्गव, सहायक अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.03.2026	4/153 (पुराना नं.एफ-966) गांधीनगर
6.	7/2011	श्री अजय माथुर, सहायक जन स्वा० अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-III गांधीनगर, जयपुर	31.08.2020	4/154 (पुराना नं. एफ-967) गांधीनगर
7.	11/2011	श्रीमती शिल्पी, अध्यापिका राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय मीनावाला, जयपुर	31.08.2040	4/162 (पुराना नं. एफ-975) गांधीनगर
8.	13/2011	श्री गौरी शंकर सैनी, नर्स ग्रेड-II, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर	31.07.2043	4/168 (पुराना नं. एफ-981) गांधीनगर
9.	111/2013	श्री कैलाश मीणा, वरिष्ठ लिपिक, प्रशासनिक सुधार (अनु. आरटीआई) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2048	4/169 (पुराना नं. एफ-982) गांधीनगर
10.	14/2011	श्री मुकेश साँखला, नर्स ग्रेड-II राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर	31.07.2043	4/178 (पुराना नं. एफ-991) गांधीनगर
11.	15/2011	सुश्री सुरभि बंसल, नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2046	4/31 गांधीनगर, जयपुर
12.	21/2011	श्री सुरेन्द्र कुमार बारोलिया, नर्स ग्रेड-II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.10.2041	4/48 गांधीनगर, जयपुर
13.	135/2013	श्री चन्द्र शेखर सक्सेना, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2049	4/55 गांधीनगर, जयपुर
14.	23/2011	श्री गंगा राम बाकोलिया, नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.06.2040	4/56 गांधीनगर, जयपुर
15.	24/2011	श्री पूरण मल योगी, नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.7.2041	4/63 गांधीनगर, जयपुर
16.	25/2011	श्री मदन लाल मीणा, नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2034	4/68 गांधीनगर, जयपुर
17.	143/2013	श्री हर्ष गोयल, वरिष्ठ लिपिक विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	28.02.2050	4/95 गांधीनगर, जयपुर
18.	26/2011	श्री गोपाल सिंह, नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2026	4/96 गांधीनगर, जयपुर
19.	28/2011	श्रीमती यशमणी, नर्स ग्रेड-II राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर	30.06.2027	4/97 गांधीनगर, जयपुर
20.	35/2011	श्री तरुण कुमार, संगणक, पशुपालन विभाग, जयपुर	31.08.2030	4/110 गांधीनगर, जयपुर
21.	152/2013	श्री ताराचन्द कुम्हार, लिफ्ट ऑपरेटर कार्मिक (ख-3) विभाग, विद्युत स्टोर, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2028	4/132 गांधीनगर, जयपुर
22.	36/2011	श्रीमती किरन जगरवाल, लेब टेकनिशियन राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर	31.10.2037	4/133 गांधीनगर, जयपुर

2

23.	38/2011	सुश्री कमला मीणा, अध्यापिका राज0 मा0 विद्यालय केशुपुरा, जयपुर	31.03.2032	4/134 गांधीनगर, जयपुर
24.	39/2011	श्री रघुनाथ सिंह, वरिष्ठ लिपिक, 1 राज. एयर स्क्वाडन एन.सी.सी. जयपुर	30.11.2030	4/137 गांधीनगर, जयपुर
25.	164/2013	श्री अजय गोयर, लिपिक ग्रेड-1, वन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2047	4-बी-15, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर
26.	42/2011	श्री गिरधर गोपाल, सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर	31.10.2032	4-डी-13, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर
27.	43/2011	श्री विष्णु कुमार सिंघल, वरिष्ठ लिपिक, एन.सी.सी. ग्रुप मुख्यालय जयपुर	31.08.2030	4/148 (पुराना नं. एफ-929) गांधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 1, 2, 25 एवं 26 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

(गौरव बजाड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4-2/ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
3. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
7. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
8. मुख्य अभियन्ता, सहायक जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-III, गाँधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
9. प्रधानाध्यापक राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय मीनावाला, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. निदेशक, सांख्यिकी, विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. प्रधानाचार्य, राज0 मा0 विद्यालय केशुपुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।

13. निदेशक, 1 राज. एयर स्क्वाडन एन.सी.सी. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
18. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
20. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
21. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
22. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
23. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
25. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

25

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

29 MAY 2018

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/17 पार्ट

जयपुर, दिनांक :

:- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी वरीयता के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के अन्तर्गत नियमानुसार किराये भुगतान की शर्त पर चतुर्थ श्रेणी के राजकीय आवास का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा प्रथम परिवर्तन/आवंटन किया जाता है :-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम एवं पदनाम आवण्टी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवण्टित आवास
1.	68/2009	श्री वृजेश यादव, नर्स ग्रेड-1A, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.11.2039	4/165, गाँधीनगर रिक्त होने की प्रत्याशा में (4/167, गाँधीनगर के स्थान पर)
2.	33/2012	श्री अरविन्द कुमार छोलक, अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर	31.12.2028	4/115, गाँधीनगर, जयपुर
3.	192/2015	श्री महन्द्र गुप्ता, स्टना, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं.-5, जयपुर	30.06.2040	4/177, गाँधीनगर (पुराना नं. एफ-990) (4/17, गाँधीनगर के स्थान पर)

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवण्टी को आवण्टित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवण्टित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवण्टी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवण्टित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवण्टी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हं


(गौरव बजाड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से सम्बन्धित आवण्टीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवण्टीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्र.सं.-5, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।

5. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
8. सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
13. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
15. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

